



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-24062020-220146
CG-DL-E-24062020-220146

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 311]
No. 311]

नई दिल्ली, बुधवार, जून 24, 2020/आषाढ 3, 1942
NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 24, 2020/ASADHA 3, 1942

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 जून, 2020

सं. 49/2020-केंद्रीय कर

सा.का.नि. 402(अ).— केन्द्रीय सरकार, वित्त अधिनियम, 2020 (2020 का 12) 2017 (जिसे इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 1 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 30 जून, 2020 को उस तारीख के रूप में, जिससे उक्त अधिनियम की धारा 118, 125, 129 और 130 के उपबंध प्रवृत्त होंगे, नियत करती है।

[फा.सं. सीबीईसी- 20/06/09/2019- जीएसटी]

प्रमोद कुमार, निदेशक